IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)
Volume 30, Issue 12, Series 1 (December, 2025) 11-13
e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845.
www.iosrjournals.org

महिला सशक्तिकरण मे शिक्षा का योगदान

डॉ आभा सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर
एजुकेशन डिपार्टमेंट
जे० एस० हिन्दू पी० जी० कॉलेज अमरोहा

सार
महिला सशक्तिकरण की जब भी बात की जाती है, तब सिर्फ राजनीतिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण पर चर्चा होती है पर सामाजिक सशक्तिकरण की चर्चा नहीं होती ऐतिहासिक रूप से महिलाओं को दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता रहा है। उन्हें सिर्फ पुरुषों से ही नहीं बल्कि जातीय संरचना में भी सबसे पीछे रखा गया है। इन परिस्थितियों में उन्हें राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त करने की बात बेमानी लगती है, भले ही उन्हें कई कानूनी अधिकार मिल चुके हैं। महिलाओं का जब तक सामाजिक सशक्तिकरण नहीं होगा, तब तक वह अपने कानूनी अधिकारों का समुचित उपयोग नहीं कर सकेंगी। सामाजिक अधिकार या समानता एक जटिल प्रक्रिया है, कई प्रतिगामी ताकतें सामाजिक यथास्थितिवाद को बढ़ावा देती हैं और कभी–कभी तो वह सामाजिक विकास को पीछे धकेलती हैं।

परिचय

प्रत्येक विकसित समाज के निर्माण में स्त्री एवं पुरूष दोनों की सहभागिता आवश्यक है। भावी पीढ़ी के रूप में व्यक्ति से लेकर परिवार, समाज तथा राष्ट्र तक के चहुँमुखी विकास की जिम्मेदारी में पुरुषों के साथ स्त्रियों की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी है। इस भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए ही परिवार की धुरी, महिला का सशक्तीकरण जरूरी है और सशक्तीकरण के लिए शिक्षा।

शिक्षा आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण के लिए पहला और मूलभूत साधन है। शिक्षा ही वह उपकरण है जिससे महिला समाज में अपनी सशक्त, समान व उपयोगी भूमिका दर्ज करा सकती है। दुनिया के जो भी देश आज समृद्ध और शक्तिशाली हैं, वे शिक्षा के बल पर ही आगे बढ़े हैं। इसलिए आज समाज की आधी आबादी अर्थात महिलाएं जो कि विकास की मुख्य धारा से बाहर है, उन्हे शिक्षित बनाना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।

इस संदर्भ में राधाकृष्णन आयोग ने कहा है–'' स्त्रियों के शिक्षित हुए बिना किसी समाज के लोग शिक्षित नहीं हो सकते। यदि सामान्य शिक्षा स्त्रियों या पुरूषों मे से किसी एक को देने की विवशता हो, तो यह अवसर स्त्रियों को ही दिया जाना चाहिए, क्योकि ऐसा होने पर निश्चित रूप से वह शिक्षा उनके द्वारा अगली पीढ़ी तक पहुँच जाएगी।'' इसी प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह बात स्वीकार की गई है कि महिला शिक्षा का महत्व न केवल समानता के लिए, बल्कि सामाजिक विकास की प्रक्रिया को तेज करने के लिए भी जरूरी है।

स्वतंत्रता के बाद सरकार, महिला संगठनों ,महिला आयोगों आदि के प्रयासो से महिलाओं के लिए विकास के द्वार खुले, उनमें शिक्षा का प्रसार बढ़ा जिससे उनमें जागृति आई, आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ परिणामस्वरूप वे प्रगतिपथ पर आगे बढ़ी। आज महिलाएं राजनीति, समाजसुधार, शिक्षा, पत्रकारिता, साहित्य, विज्ञान, उद्योग, व्यावसायिक प्रबन्धन, शासन–प्रशासन, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, पुलिस, सेना, कला, संगीत, खेलकूद आदि क्षेत्रों में पुरूषो के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं । एक ओर यह परिदृश्य अत्यधिक उत्साहवर्धक है परंतु वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि आज भी शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं है।

पूरी दुनिया में स्कूल न जाने वाले 121 मिलियन बच्चों में 65 प्रतिशत लड़किया है। दुनिया के 875 मिलियन निरक्षर वयस्कों में दो तिहाई महिलाएं हैं। इसी प्रकार 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर 53.67 प्रतिशत है जिसमें नगरीय क्षेत्र की महिला साक्षरता 72.99 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र की महिला साक्षरता 46.58 प्रतिशत है अर्थात भारत में लगभग 50 प्रतिशत महिलाएं अभी तक शिक्षा से वंचित हैं।

इसी प्रकार प्राथमिक स्तर पर प्रवेश लेने वाली बालिकाओं में से 24.82 प्रतिशत कक्षा 5 तक की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती और उन्हे विद्यालय छोड़ना पड़ता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर 50.76 प्रतिशत बालिकाओं को बीच में ही विद्यालय छोड़ कर घरेलू कार्यों में संलग्न होना पड़ता है। स्कूल का दूर होना, यातायात की अनुपलब्धता, घरेलू काम, छोटे भाई–बहनों की देखरेख, आर्थिक व विभिन्न सामाजिक समस्यायें आदि कुछ ऐसे कारण हैं जो कि बालिका शिक्षा की राह में बाधा उत्पन्न करते हैं।

आज बालिका शिक्षा का प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों में करने की महती आवश्यकता है। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इस दिशा में निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। देश की विकासशीलता के परिवेश में विचार करना आवश्यक है कि महिलाओं की शिक्षा किस प्रकार की हो?

महिलाओं को मात्र साक्षर न बनाया जाए बल्कि उन्हें ऐसी व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए जो उन्हे अपने पैरों पर खड़े होने में मददगार सिद्ध हो। यदि महिलाएं शिक्षित होकर आत्मनिर्भर हों सके तो उनको स्वयं का महत्व समझते देर नहीं लगेगी तथा धीरे–धीरे दूसरो की नजरों में भी उनका स्थान महत्वपूर्ण हो जाएगा। शिक्षित, आत्मनिर्भर, सशक्त महिलाओं के द्वारा ही भारत को एक सशक्त व विकसित देश के रूप में निर्माण कर पाना संभव हो सकेगा।

प्रश्न यह है कि सामाजिक सशक्तिकरण का जरिया क्या हो सकती हैं? इसका जवाब बहुत ही सरल, पर लक्ष्य कठिन है। शिक्षा एक ऐसा कारगर हथियार है, जो सामाजिक विकास की गति को तेज करता है। समानता, स्वतंत्रता के साथ–साथ शिक्षित व्यक्ति अपने कानूनी अधिकारों का बेहतर उपयोग भी करता है और राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त भी होता है। महिलाओं को ऐतिहासिक रूप से शिक्षा से वंचित रखने का षडयंत्र भी इसलिए किया गया कि न वह शिक्षित होंगी और न ही वह अपने अधिकारों की मांग करेंगी, यानी, उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाये रखने में सहुलियत होगी। इसी वजह से महिलाओं में शिक्षा का प्रतिशत बहुत ही कम है। हाल के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों एवं स्वाभाविक सामाजिक विकास के कारण शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है, जिस कारण बालिका शिक्षा को परे रखना संभव नहीं रहा है। इसके बावजूद सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से शिक्षा को किसी ने प्राथमिकता सूची में पहले पायदान पर रखकर इसके लिए विशेष प्रयास नहीं किया।

कई सरकारी एवं गैर सरकारी आंकड़ें यह दर्शाते हैं कि महिला साक्षरता दर बहुत ही कम है और उनके लिए प्राथमिक स्तर पर अभी भी विषम परिस्थितियाँ हैं। यानी प्रारम्भिक शिक्षा के लिए जो भी प्रयास हो रहे हैं, उसमें बालिकाओं के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ निर्मित करने की सोच नहीं दिखती। महिला शिक्षकों की कमी एवं बालिकाओं के लिए अलग शौचालय नहीं होने से बालिका शिक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और प्राथमिक एवं मिडिल स्तर पर बालकों की तुलना में बालिकाओं की शाला त्यागने की दर ज्यादा है। यद्यपि प्राथमिक स्तर की पूरी शिक्षा व्यवस्था में ही कई कमियां हैं।

प्राथमिक शिक्षा पूरी शिक्षा प्रणाली की नींव है और इसकी उपलब्धता स्थानीय स्तर पर होती है। इस वजह से बड़े अधिकारी या राजनेता प्रारम्भिक शिक्षा व्यवस्था की कमियों, जरूरतों से लगातार वाकिफ नहीं होते, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अतरू यह जरूरी है कि प्रारंभिक शिक्षा की निगरानी एवं जरूरतों के प्रति स्थानीय प्रतिनिधि अधिक सजगता रखें। चूंकि शहरों की अपेक्षा गांवों में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की स्थिति बदतर है, इसलिए गांवों में बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने और बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने पर खास जोर देने की जरूरत है।

73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज व्यवस्था के तहत निर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधियों ने भी पिछले 10–15 वर्षों में शिक्षा के लिए उल्लेखनीय कार्य नहीं किया। सामान्य तौर पर ऐसा देखने में आया है कि पुरुष पंचायत प्रतिनिधियों ने निर्माण कार्यों पर जोर दिया क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार की संभावनाएं होती हैं। शुरुआती दौर में महिला पंचायत प्रतिनिधियों ने भी कठपुतली की तरह पुरुषों के इशारे एवं दबाव में उनकी मर्जी के खिलाफ अलग कार्य नहीं किया। आज भी अधिकांश जगहों पर महिला पंच–सरपंच मुखर तो हुई हैं पर सामाजिक मुद्दों के प्रति उनमें अभी भी उदासीनता है। इसके बावजूद महिला पंचों एवं सरपंचों से ही सामाजिक मुद्दों पर कार्य करने की अपेक्षा की जा रही है क्योंकि सामाजिक सशक्तिकरण के लिहाज से यह उनके लिए भी जरूरी है।

इन विषम परिस्थितियों के बावजूद प्रदेश के कई पंचायतों में आशा की किरण दिख रही है। मध्यप्रदेश में सबसे पहले पंचायत चुनाव हुआ था इसलिए बदलाव की बयार भी सबसे बेहतर यहीं दिख रही हैं। झाबुआ, सतना, होशंगाबाद, हरदा सहित कई जिलों के कई पंचायतों की महिला सरपंचों एवं पंचों ने सामाजिक मुद्दों पर कार्य शुरू कर दिया है। खासतौर से शिक्षा के प्रति उनमें मुखरता आई है। अंततः महिलाओं ने इस बात को समझना शुरू कर दिय है कि उनकी वास्तविक सशक्तिकरण के लिए शिक्षा एक कारगर हथियार है। शिक्षा को अपनी प्राथमिकता सूची में पहले स्थान पर रखने वाली महिला सरपंचों एवं पंचों का स्पष्ट कहना है कि शिक्षा में ही गांव का विकास निहित है और सामाजिक मुद्दों पर काम करने वाली महिला सरपंचों एवं पंचों को ही वास्तविक रूप से सशक्त माना जा सकता हैं।

महिला सशक्तिकरण हेतु सरकारी प्रयास

1. 1 नवंबर 1999 में प्रारंभ 'पढ़ना–बढ़ना आंदोलन' अत्यधिक सफल रहा। इस योजना के अंतर्गत एक निरक्षर को पुनः साक्षर करने पर 100 रू. गुरू दक्षिणा का प्रावधान था, वह कारगर साबित हुआ।
2. निरक्षर महिलाओं को साक्षर बनाने के लिये यथा संभव स्थानीय स्तर पर उपलब्ध शिक्षित स्वयं–सेवकों को दायित्व सौंपा गया।
3. महिलाओं के नवसाक्षर होने के बाद उनके सशक्तिकरण की दिशा में महिला स्व–सहायता समूहों के गठन को बढ़ावा दिया गया। साक्षरता अभियान के माध्यम से अब तक राज्य में लगभग 2–3 हजार महिला व सहायता समूह विभिन्न जिलों में गठित किए जा चुके हैं।
4. अनुसूचित जातिध्जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की बालिकाओं, विशेषतः गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों की बालिकाओं को निःशुल्कध्यथासंभव न्यूनतम शुल्क पर शिक्षा सुलभ कराना।
5. व्यावसायिक एवं व्यवसायोन्मुखी परामर्श एवं प्रशिक्षण (जो केवल महिलाओं पर केन्द्रित हो) का आयोजन ताकि वे अपनी योग्यताओं एवं रूचियों के अनुरूप पाठ्यक्रमों का चयन कर सकें।
6. महिलाओं के नवसाक्षर होने के बाद उनके सशक्तिकरण की दिशा में महिला स्व–सहायता समूह के गठन को बढ़ावा दिया गया। साक्षरता अभियान के माध्यम से इब तक राज्य मे ं लगभग 2–3 हजार महिला स्व–सहायता समूह विभिन्न जिला में गठित किये जा चुके हैं।

7. महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन प्रदान करने के लिए उनके निजी बचत खाते, बैंको, डाकघरा ं में खोलने को प्राथमिकता दी गई।
8. साक्षरता अभियान क्रियान्वयन से जुड़ी जिला स्तर से लेकर ग्राम स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक की समस्त समितियों में महिलाओं की भागीदारी 30–35 प्रतिशत तक सुनिश्चित की गई।
9. आकाशवाणी रायपुर, अम्बिकापुर, जगदलपुर, बिलासपुर के समय–समय पर महिला साक्षरता को सफल बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमा ं का प्रसारण किया गया।
10. शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में नैतिक मूल्य (मूल्य आधारित) शिक्षा के समावेश हेतु आवश्यक उपाय किये गये।
11. शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में छत्तीसगढ़ राज्य की महिला विभूतियों एवं महिलाओं से संबंधित सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक आख्यानों को सम्मिलित करना।
12. बालिकाओं को वैज्ञानिक व तकनीकी शिक्षा दिये जाने हेतु प्रोत्साहन। 13. 1 जनवरी 1997 से पूरे प्रदेश में 'शिक्षा गारंटी योजना' शुरू की। इस योजना का सफल क्रियान्वयन हो इसका जिम्मा पंचायती राज व्यवस्था को सौंपा गया। पंचायती राज्य व्यवस्था द्वारा किये गये प्रयासों से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन आए।

महिलाओ का सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है, इनके बिना परिवार या समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। परिवार एवं समाज में इनका योगदान अतुलनीय है। महिलाए समाज व परिवार की मार्गदर्शक हैं, युवा पीढी की सफलता की श्रोताधार हैं, परिवार की पथ प्रदर्शक हैं । अविष्कारी मस्तिष्क तो नारी के पास सदैव रहा है। परन्तु समय के साथ–साथ मस्तिष्क इस प्रकार के विचार करने पर विराम लगा दिया अब उन्हे इस अविष्कारी विचार को पुनः प्रारम्भ करना होगा एवं अपने द्वारा उत्पन्न समाज को फिर से उन्हे राह बताना होगा। तभी समाज में समानता आएगी।

संदर्भ सूची –

1. अंसारी एम.ए., महिला और मानवाधिकार, जयपुर, 2007 पृ 224
2. सिंह गौरव,महिला सशक्तिकरण हेतु सरकारी प्रयास एवं स वैधानिक व्यवस्थाये, आन्वीक्षिकी (शोधपत्रिका), 2013, पृ. 64,
3. टी. राधाकृष्ण, मध्यप्रदेश महिला नीति भेपाल, 1997, पृ. 11,14,
4. आचार्य सम्राटश्री देवेन्द्रमुनी जी, भारतीय वाडमय में नारी, नई दिल्ली, 2006 पृ24,
5. श्रीवास्तव रागिनि, आधुनिक समाज एवं महिलाएं इंदौर, 2011, पृ.
6. जसटा हरिराम, आधुनिक भारत में शैक्षिक चिन्तन, दिल्ली 1992,पृ.
7. पूर्वोक्त, पृ 65
8. मेहता, बी.के, और दुबे, राकेश कुमार, शोध संप्रेषण बिलासपुर, 2004,
9. सुरजन, ललित, संदर्भ छत्तीसगढ़, रायपुर, 2004, पृ. 114,
10. सूरजन ललित, पूर्वोक्त, पृ. 114 13. मेहता, बी.के, और दुबे, राकेश कुमार, पूर्वोक्त, पृ. 114
11. हरिभूमि, 25 मार्च, 2010, पृ.10
12. पाण्डे मनोज कुमार, नारी साम्राज्य, विश्वभारती प्रकाशन , 2008